न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 27 / 2018

1 हेमाराम उम्र 82 वर्ष पुत्र गोरूराम।
2 गीगराज उम्र 71 वर्ष पुत्र गोरूराम।
3 पोखरराम उम्र 60 वर्ष पुत्र गोरूराम।
4 नानछी उम्र 55 वर्ष पत्नी फूलचन्द।
5 राजेन्द्र उम्र 30 वर्ष पुत्र फूलचन्द।
6 महेन्द्र उम्र 27 वर्ष पुत्र फूलचन्द समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मालियान तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 मेवा देवी उम्र 57 वर्ष पुत्री गोरूराम पत्नी दौलतराम जाति माली निवासी ग्राम ढाल्यावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 सकरी देवी उम्र 50 वर्ष पुत्री गोरूराम पत्नी हरिचन्द जाति माली निवासी ग्राम ढ़ाल्यावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर कार्यालय तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 बृजमोहन सिंह उर्फ मोहन सिंह दत्तक पुत्र भूरेसिंह उर्फ भूराराम जाति माली निवासी ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
3 पटवारी हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 सीताराम उम्र 55 वर्ष पुत्र सुरजाराम पौत्र गौरूराम।
6 रिछपाल उम्र 45 वर्ष भागला उर्फ भागूराम।
7 धूड़ाराम उम्र 27 वर्ष पुत्र भागला उर्फ भागूराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मालियान ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 मिश्री उम्र 85 वर्ष पुत्री गोरूराम पत्नी चोखाराम जाति माली निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 20.03.2018 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर पीठासीन अधिकारी ब्रहमलाल जाट आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 82/2003 बी.टी. नम्बर 548/2017 बउनवानी हेमाराम आदि बनाम भूमिधारी आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह खेरवा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 82/2003 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण हेमाराम पुत्र गोरूराम जाति माली निवासी ढाणी मालियान तन झाडली व अन्य के द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय में बाबत भूमि खसरा नम्बर 3408,3477,3478,3480,3782,3783,3785,3786 कुल किता 7 कुल रकबा 3.83 हैक्टेयर तन ग्राम झाड़ली व खसरा नम्बर 803 से 807 तन ग्राम रूपपुरा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रार्थीगण का स्थगन आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि बृजमोहन सिंह उर्फ मोहन सिंह भुरे सिंह के गोद चला गया था। रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बेचान के उदेश्य से गोद के तथ्यों को छुपाकर गोरूराम के वारिस के रूप में नामान्तकरण का प्रयास किया। इस हेतु घोषणा का वाद व टी.आई. पेश किया। विचारण न्यायालय ने हमारा आवेदन यह विवेचन कर खारिज कर दिया कि हम गोद जाने का तथ्य साबित नही कर पाये, गोरूराम का पुत्र मानकर विरासतन अधिकार माना है, गोद के विवाद का निर्णय का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। यह तीनों बिन्दु अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के समय तय करने के लिये नही है अपितु इनका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना है। रेस्पोडेंट ने एक अन्य भूमि भूरे सिंह का पुत्र बनकर बेचान की है। जिसमें वलदियत भूरेसिंह पुत्र भूराराम अंकित है यह तथ्य दस्तावेजात से साबित है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों को नजर अन्दाज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है। दावे के निस्तारण तक भूमियां खुर्द बुर्द नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन दिया जाना उचित है। गोदनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(1) पेज 479, आर.आर.डी. 1998 पेज 517, डी.एन.जे. (राज.) 2013 (1) पेज 170, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 139, आर.एल.डब्ल्यू 2014(2) पेज 1561, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 49 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई गोदनामा एवं दस्तावेज पेश नही किया गया है। जिससे मुझे भूरे सिंह का दतक पुत्र साबित किया जा सकें। इस सम्बंध में किसी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। अपीलांट मेरे हक अधिकारों से वंचित करने के उदेश्य से विरासत का नामान्तकरण रूकवाने हेतु एवं वादग्रस्त भूमियां हड़पने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1168, आर.आर.डी. 1997 पेज 298, आर.आर.डी. 1991 पेज 426, आर.आर.डी. 2016 पेज 243, आर.आर.डी. 1984 पेज 338, आर.टी.एक्ट 1955 पेज 734, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 पेज 487 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट का आवेदन यह विवेचन कर खारिज कर दिया कि वे गोद जाने का तथ्य साबित नही कर पाये, गोरूराम का पुत्र मानकर विरासतन अधिकार माना है, गोद के विवाद का निर्णय का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। यह तीनों बिन्दु अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के समय तय करने के लिये नही है अपितु इनका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना है। रेस्पोडेंट ने एक अन्य भूमि भूरे सिंह का पुत्र बनकर बेचान की है। जिसमें वलदियत भूरेसिंह पुत्र भूराराम अंकित है यह तथ्य दस्तावेजात से साबित है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों को नजर अन्दाज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है। दावे के निस्तारण तक भूमियां खुर्द बुर्द नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन दिया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं पक्षकारों को वाद बाहुल्यता ना हो, विवादित भूमियां खुर्द बुर्द न हो इसे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दृष्टिगत रखते हुये विवादित भूमियों की ताफैसला वाद रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर